भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1533

28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- कृषि संकट में फंसे किसानों के लिए सहायता

1533. श्री के. राधाकृष्णनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल के महीनों में बढ़ती आदान लागत, कई फसलों के फार्म-गेट मूल्यों में गिरावट और विषम मौसम की घटनाओं के कारण हुए नुकसान के कारण किसानों के बढ़ते संकट पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का फसल बीमा के दायरे का विस्तार करने, मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता में वृद्धि करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) विगत एक वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों, शामिल किए गए लाभार्थियों और किसानों को मुआवजा के रूप में दी गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार इस बात से अवगत है कि लागत, बाजार मूल्य और जलवायु परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कृषि राज्य का विषय है। हालांकि, भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम इन चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम किया जा सके और किसानों को लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित किया जा सके। इनमें शामिल हैं:

(i) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी): सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों के परामर्श से 22 अनिवार्य फसलों (14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलों (पटसन और कोपरा) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है। एमएसपी तय करते समय उत्पादन लागत, मांग-आपूर्ति के रुझान, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, फसलों के बीच मूल्य समानता और व्यापार की शर्तों जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। एमएसपी किसानों को उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का लाभ सुनिश्चित करता

है। एमएसपी में वृद्धि से किसानों को काफी लाभ हुआ है, जैसा कि खरीद स्तरों और किए गए एमएसपी भुगतानों में लगातार वृद्धि से झलकता है।

(ii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई): पीएमएफबीवाई बुवाई के पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक होने वाले अप्रतिरोध्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के लिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करती है। पीएमएफबीवाई और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाले फसल के नुकसान के विरुद्ध व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिससे किसानों को जलवायु संबंधी जोखिमों से राहत मिलती है। 30.06.2026 तक, पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत 92.68 करोड़ किसान आवेदन पंजीकृत किए गए हैं, वर्ष 2016 में योजनाओं के प्रारंभ से लेकर अब तक 25.58 करोड़ किसान आवेदनों के विरुद्ध ₹2.02 लाख करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है। योजनाओं के तहत पंजीकृत कुल युनीक किसान आवेदनों में से लगभग 86% छोटे और सीमांत किसानों के हैं। संबंधित योजनाओं के अंतर्गत पिछले एक वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि, शामिल लाभार्थियों और किसानों को प्रदान किए गए दावों/सहायता का योजनावार एवं राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(iii) राज्य एवं राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ): प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, संबंधित राज्य सरकारें अनुमोदित मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती हैं। गंभीर आपदाओं के लिए, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राहत के रूप में होती है, न कि मुआवजे के रूप में।

(iv) पीएम-किसान: पीएम-किसान योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 की आय सहायता प्राप्त होती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और किसानों की आय को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम), कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और प्रोत्साहन तथा बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) जैसी विभिन्न अन्य योजनाएं भी लागू कर रही है।

फसल बीमा के दायरे को बढ़ाने के लिए, सरकार ने पीएमएफबीवाई के तहत निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- AIDE (मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप) नामक स्मार्टफोन ऐप को खरीफ 2023 में मध्यस्थों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से किसानों के घर बैठे बीमा पंजीकरण कराने के लिए डिज़ाइन और लॉन्च किया गया है। यह किसानों को पूरी तरह से कागज-रहित और नकद भुगतान-रहित अनुभव प्रदान करता है।
- सरकार ने किसानों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सदस्यों के बीच पीएमएफबीवाई की प्रमुख विशेषताओं को प्रसारित करने के लिए राज्यों, कार्यान्वयनकर्ता बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के नेटवर्क द्वारा किए जा रहे जागरूकता कार्यों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है।
- इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ 2021 के मौसम से 'फसल बीमा सप्ताह' नामक एक सुनियोजित जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य योजना के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, हितधारकों को जागरूक करना और किसानों के समग्र नामांकन को बढ़ाना है, जिसमें चिन्हित आकांक्षी/आदिवासी जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही, योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों की जानकारी में वृद्धि करने के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर 'फसल बीमा पाठशालाओं' का आयोजन भी किया जा रहा है।
- सरकार ने 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' नाम से देशव्यापी स्तर पर फसल बीमा पॉलिसी/रसीद वितरण का एक बड़ा अभियान भी चलाया था। ग्राम पंचायत/गांव स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से पीएमएफबीवाई के तहत पंजीकृत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी की रसीदों की हार्ड कॉपी वितरित की जाती हैं।

- इसके अलावा, जागरूकता पैदा करने के लिए अन्य गतिविधियों में प्रमुख राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से योजना की मुख्य विशेषताओं और लाभों का प्रचार-प्रसार, क्षेत्रीय/स्थानीय चैनलों पर ऑडियो-विजुअल स्पॉट्स का प्रसारण, स्थानीय भाषाओं में आईईसी सामग्री का वितरण, किसान/राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से एसएमएस का प्रसार और किसानों, पंचायत सदस्यों और अन्य प्रमुख हितधारकों सहित सभी हितधारकों के लिए ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन शामिल है।

2018-19 के केंद्रीय बजट में उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बनाए रखने का पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम50 प्रतिशत प्रतिफल वाली सभी अनिवार्य खरीफ़, रबी और अन्य कमर्शियल फ़सलों के लिए एमएसपी में वृदि की थी।

सरकार निर्दिष्ट खरीद एजेंसियों के माध्यम से कृषि फसलों की खरीद की पेशकश करती है और किसानों के पास अपनी उपज को सरकारी एजेंसियों को या खुले बाजार में बेचने का विकल्प होता है, जो भी उनके लिए लाभदायक हो ।

जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाता है तब कुल उत्पादन में से, केवल विपणन योग्य अधिशेष ही सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होता है। सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की व्यापक योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर, दिशानिर्देशों के अनुसार इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाने पर की जाती है। पीएम-आशा योजना के अंतर्गत खरीद एजेंसियां हैं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ)। सरकार द्वारा कपास और पटसन की खरीद भी क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है।

बढ़ी हुई एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हुआ है, जो कि खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि के आंकड़ों से स्पष्ट होता है। वर्ष 2004-2014 और 2014-2026 (जून 2026 तक) के दौरान किसानों को भुगतान की गई खरीद और एमएसपी राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

किसानों को खरीद और भुगतान की गई एमएसपी राशि

2004-2014		2014-2026 (जून 2026 तक)	
कुल खरीद (एलएमटी में)	कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)	कुल खरीद (एलएमटी में)	कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)
6987	7.41	12819	27.80

दलहन के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पीएम-आशा योजना के तहत राज्य सरकार के अनुरोध पर पूर्व-पंजीकृत किसानों से, केंद्रीय नोडल एजेंसियों, अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के माध्यम से पेश की गई मात्रा में तुअर, उड़द और मसूर की खरीद कर रही है।

नाशवान प्रकृति और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत न आने वाले कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) भी लागू करती है, जो पीएम-आशा योजना का एक घटक है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन उत्पादों के उत्पादकों को बंपर फसल होने पर, आवक के चरम समय में, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिरने लगती हैं, तब मजबूरी में बिक्री करने से बचाना है।

अनुबंध

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस: वर्ष 2025-26 के दौरान राज्यवार कवरेज और दावों की रिपोर्ट, दिनांक 30.06.2026 तक					
	भारत सरकार की सब्सिडी जारी कर दी गई है।	राज्य सब्सिडी जारी की गई	कुल जारी की गई सब्सिडी	आवेदन जमा किए गए	भुगतान किए गए दावे	आवेदन का भुगतान हो चुका है
	(करोड़ रुपये में)	(करोड़ रुपये में)	(करोड़ रुपये में)	(लाख में)	(करोड़ रुपये में)	(लाख में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.0083	-	0.0083	0.0002	-	-
आंध्र प्रदेश	111.65	-	111.65	18.88	0.99	0.02
असम	44.04	61.87	105.91	14.24	29.60	0.34
छत्तीसगढ	731.16	592.08	1,323.24	82.53	211.08	4.85
गोवा	0.0004	0.0004	0.0009	0.0034	0.0032	0.0004
हरियाणा	363.09	359.96	723.05	178.05	918.21	48.74
हिमाचल प्रदेश	83.66	0.75	84.41	9.63	0.06	0.0028
जम्मू और कश्मीर	72.15	5.49	77.64	3.40	51.61	0.96
झारखंड	312.82	-	312.82	20.70	-	-
कर्नाटक	748.75	295.82	1,044.58	38.77	1,104.38	11.04
केरल	63.90	28.87	92.77	2.34	0.29	0.00
मध्य प्रदेश	1,100.09	1,100.11	2,200.20	197.03	239.95	3.89
महाराष्ट्र	1,226.49	1,152.02	2,378.51	110.31	1,556.52	15.32
मणिपुर	1.53	-	1.53	0.05	-	-
मेघालय	12.89	12.56	25.45	0.72	14.42	0.23
मिजोरम	-	-	-	0.0072	-	-
ओडिशा	270.28	476.04	746.32	131.34	3.53	0.04
पुदुचेरी	2.14	2.48	4.62	0.2283	0.0166	0.0013
राजस्थान	1,877.24	1,185.42	3,062.65	384.95	2,117.95	55.99
सिक्किम	0.06	-	0.06	0.0358	0.0052	0.0006
तमिलनाडु	382.35	381.43	763.78	55.85	237.26	6.78
त्रिपुरा	0.86	0.0114	0.8715	1.0531	0.0109	0.0003
उत्तर प्रदेश	295.22	292.18	587.39	139.03	842.48	41.09
उत्तराखंड	308.39	18.07	326.46	3.43	60.78	1.25
कुल	**8,008.76**	**5,965.15**	**13,973.91**	**1,392.58**	**7,389.14**	**190.53**
